न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

मौदहा, हमीरपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 123/2022

सरकार बनाम सुखदेव आदि।

मुकदमा अपराध सं०- 69/2022
धारा- 323, 504, 506 भा०दं०सं०।
थाना- मौदहा, जनपद हमीरपुर।

दिनांक 27/06/2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1- सुखदेव पुत्र हड़का यादव 2- बच्चीलाल उर्फ बच्ची पुत्र भइयालाल निवासी मुहल्ला बाकी तलैय्या कस्बा व थाना मौहदा, हमीरपुर की ओर से मुकदमा अपराध सं०- 69/2022 अन्तर्गत धारा- 323, 504, 506 भा०दं०सं० थाना मौदहा, जिला हमीरपुर में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र पर तर्क इस प्रकार है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त मुकदमे में गलत फंसाया गया है। प्रार्थीगण कानूनी रूप से अभियुक्तगण हैं। प्रार्थीगण को पूर्व के वकील साहब द्वारा जानकारी न देने पर हुआ है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से जमानत पर छोड़े जाने की याचना की है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 26/06/2022 से जिला कारागार हमीरपुर में निरुद्ध है। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी हो गया दिया था। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके उपरान्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार, हमीरपुर भेज दिया गया था। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा आज न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण मृत्युदण्ड एवं आजावीन कारावास से दण्डनीय नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर न जाते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्तगण **1- सुखदेव पुत्र हड़का यादव 2- बच्चीलाल उर्फ बच्ची पुत्र भइयालाल** द्वारा मु०- 20,000/- रु० के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो-दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक- 27/06/2022

(रजत सिंह यादव),
सिविल जज (जू०डि०)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मौदहा, हमीरपुर।